ACM-II
- यशोदा बनाम महेन्द्र
- दावा
- वाद सं. = 98/2013

5/8/21 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। प्रति. सं. 5 की तामील प्राप्त नहीं हुई है। आगामी पेशी तक रजिस्टर्ड तामील पेश करे। अन्यथा आदेश की पालना के अभाव में दावा खारिज हो जावेगा। पत्रा. दिनांक 14/9/21 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

14/9/21 पत्रा पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। आदेश दि. 5/8/21 की पालना हेतु अवसर चाहा। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रा दिनांक 2/11/21 को पेश हो।

2/11/2021

पत्रा पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। पत्रावली पूर्व पेशी अनुसार दिनांक 30/12/2021 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/[illegible]
हाजिर। पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य
30/12/21 में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक....5/3/22....को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण
5/3/22 ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली
पूर्व आदेशानुसार दिनांक..16/05/22..
को पेश हों।

16/05/2022 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी स्वयं कार्यालय 5:30 बजे तक बावजूद आवाज लगवाने के हाजिर नहीं। अतः पत्रावली को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कमी [illegible] दफ्तर हो।